

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 154/2019

बैंक ऑफ बडौदा  
शाखा कार्यालय:-सुरसुरा, जिला-अजमेर(राज.)  
प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी

बनाम

- (1). मैसर्स महेन्द्र वाटर सप्लायर्स प्रो० श्री पृथ्वीराज जाट पुत्र श्री जयराम जाट  
(अ) पता:- प्लॉट नं० 2 ए खसरा नं. 1170, इण्डस्ट्रीयल एरिया रूपनगढ, जिला अजमेर(राज.)  
(ब) 1253, तीतरवालों की ढाणी, बनेवडा की ढाणी, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर(राज.)
- (2). श्रीमती बिरधी देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज जाट  
(अ) पता:- प्लॉट नं० 2 ए खसरा नं. 1170, इण्डस्ट्रीयल एरिया रूपनगढ, जिला अजमेर(राज.)  
(ब) पता:- बनेवडा की ढाणी, रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर(राज.)  
.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराईटेशन रिक्सटक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्कुरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री सत्येन्द्र खोरानियों

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 14.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स महेन्द्र वाटर सप्लायर्स प्रो० श्री पृथ्वीराज जाट पुत्र श्री जयराम जाट एवं श्रीमती बिरधी देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज जाट निवासी:- प्लॉट नं० 2 ए खसरा नं. 1170, इण्डस्ट्रीयल एरिया रूपनगढ, जिला अजमेर( राजस्थान) को दिनांक 24.09.2014 को टर्म लोन खाते में रु 20,06,000/- (अक्षरे रूपये बीस लाख छः हजार मात्र) व टर्म केश क्रेडिट लोन खाते 3,50,000/- (अक्षरे रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) कुल ऋण 23,56,000/- (अक्षरे रूपये तेईस लाख छप्पन हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर इण्डस्ट्रीयल एरिया रूपनगढ, जिला अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं. 1170 का भाग प्लाट नं. 2 ए, पर स्थित फैंक्ट्री लैण्ड एवं बिल्डिंग (क्षेत्रफल 416.45 वर्गमीटर), जो श्रीमती बिरधी देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज जाट के नाम से है, जिसके पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम- खसरा नं. 1171 की जमीन, उत्तर -प्लॉट नं. 1 (खसरा नं. 1170), दक्षिण -प्लॉट नं. 2 बी है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रूपये 5,04,387.39/- (अक्षरे रूपये पांच लाख चार हजार तीन सौ सत्यासी एवं उनचालीस पैसे मात्र) व केश क्रेडिट ऋण खाते में 3,47,705.25/- (अक्षरे रूपये तीन



*Signature*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

लाख सैंतालीस हजार सात सौ पांच एवं पच्चीस पैसे मात्र) दोनो खातों में कुल ऋण 8,52,092.64/- (अक्षरे रूपये आठ लाख बावन हजार बानवे एवं चौसठ पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति इण्डस्ट्रीयल एरिया रूपनगढ, जिला अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं. 1170 का भाग प्लाट नं. 2 ए, पर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एवं बिल्डिंग (क्षेत्रफल 416.45 वर्गमीटर), जो श्रीमती बिरधी देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज जाट के नाम से है, जिसके पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम- खसरा नं. 1171 की जमीन, उत्तर -प्लॉट नं. 1 (खसरा नं. 1170), दक्षिण -प्लॉट नं. 2 बी है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हसब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को सुनाया गया।



*(Signature)*

(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर